HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2437/2025

Akram @ Akki Mirza S/o Shri Anwar Mirza, Aged About 30 Years, R/o Hasanpura-A, Yadavon Ka Chowk, Loko Deewar Ke Pass, Police Station Railway Station Sadar, Jaipur. (Presently Accused Is Confined In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2781/2025

Rakesh Saini Alias Babu S/o Shree Govind Ram Saini, Aged About 32 Years, R/o Plot No. B-130, Anandpuri, Moti Dungari, Jaipur. (At Present In Central Jail, Jaipur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Mohammed Shoaib Mirza Mr. Javed Mohd. Khan Mr. Sikander Mr. Shafiq Khan
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh, PP Mr. Sunil Tyagi

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

28/02/2025

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु पृथक्–पृथक् जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– जवाहर नगर (जयपुर सिटी (पूर्व)) जिला– जयपुर सिटी (पूर्व) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 362/2024 अपराध

अन्तर्गत धारा 190, 191(2), 191(3), 109(1) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/25 आयुध अधिनियम में पेश किए गए हैं।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित नहीं हैं। अन्य समकक्ष सहअभियुक्तगण सद्दाम, गौतम सिंह की जमानत याचिका इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी हैं और प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रकरण उक्त सहअभियुक्तगण से भिन्नता रखते हुए नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण में परिवादिया द्वारा तीन नामजद व्यक्तियों के अतिरिक्त एक अन्य व्यक्ति द्वारा उसके घर के बाहर आकर फायर करने का कथन किया गया है, परंतु उस संदर्भ में परिवादिया से उक्त दोनों प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की कोई पहचान कार्यवाही पुलिस द्वारा अनुसंधान के प्रक्रम पर निष्पादित नहीं कराई गई है। पुलिस द्वारा मात्र प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को झूठा फंसाने के उद्देश्य से प्रकरण में संयोजित किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का उक्त अपराध से कोई संबंद्ध नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहे हैं और प्रकरण के अनुसंधान/विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक एवं विद्वान् अधिवक्ता परिवादिया द्वारा जमानत आवेदनों का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा परिवादिया अरुणा देवी के घर के बाहर, एक अन्य प्रकरण में उसके द्वारा बयान दिए जाने के कारण हमला किया गया और प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा अन्य सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर रात्रि के समय हवाई फायर किए गए और संपूर्ण परिवार में भय व्याप्त किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। प्रार्थी/अभियुक्त अकरम उर्फ अक्की मिर्जा के विरुद्ध पूर्व में कुल 11 प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके हैं और उसके विरुद्ध हिस्ट्रीशीट भी खुली हुई है। प्रकरण अभी अनुसंधान के प्रक्रम पर है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को यदि जमानत का लाभ दिया जाता है तो उनके द्वारा गवाहों को डराने–धमकाने इत्यादि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन अस्वीकार किए जाएं।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में परिवादिया श्रीमती अरुणा देवी द्वारा तीन नामजद अभियुक्तगण अर्थात् कुलदीप गहलोत, मुज्म्मील मिर्जा एवं हनी टाईगर के विरुद्ध रिपोर्ट पंजीबद्ध कराई गई है और साथ ही एक अन्य व्यक्ति का उनके घर आना बताया गया है और उसे देखकर बाद में पहचान सकती हूँ, यह कथन किया गया है। प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान कुल 9 व्यक्तियों को अपराध में संबद्ध पाया गया है। तथ्यात्मक रिपोर्ट से यह प्रकट नहीं होता है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के संदर्भ में पुलिस द्वारा परिवादिया अरुणा देवी से उनकी कोई शिनाख्त की कार्यवाही निष्पादित कराई गई है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहे हैं और अन्य समकक्ष सहअभियुक्तगण सद्दाम एवं गौतम सिंह, जिनके नाम भी प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लेखित नहीं थे, उन्हें इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ विभिन्न आदेशों द्वारा दिया जा चुका है और प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का प्रकरण भी उक्त अभियुक्तगण के प्रकरण से भिन्नता रखते हुए प्रकट नहीं होता है। अतः मैं प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदनों को स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के जमानत आवेदन स्वीकार किए जाते हैं।

यद्यपि यह सही है कि प्रार्थी/अभियुक्त अकरम उर्फ अक्की मिर्जा के विरुद्ध पूर्व में कई प्रकरण पंजीबद्ध हो चुके हैं और उसका आपराधिक इतिहास रहा है। अतः जमानत याचिकाएं स्वीकार किए जाने के साथ–साथ उक्त प्रार्थी/अभियुक्त अकरम उर्फ अक्की मिर्जा के संदर्भ में यह शर्त अधिरोपित किया जाना उचित प्रकट होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त प्रत्येक माह की 25 तारीख को संबंधित थानाधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराए और प्रार्थी/अभियुक्त की अनुपस्थिति के आधार पर संबंधित लोक अभियोजक प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. अकरम उर्फ अक्की मिर्जा पुत्र अनवर मिर्जा, 2. राकेश सैनी उर्फ बाबू पुत्र गोविन्द राम सैनी** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाते हैं और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के

संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस–पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

शर्तः–

प्रार्थी/अभियुक्त **अकरम उर्फ अक्की मिर्जा पुत्र अनवर मिर्जा** प्रत्येक माह की 25 तारीख को संबंधित थानाधिकारी के समक्ष अपनी उपस्थिति दर्ज कराए तथा संबंधित थानाधिकारी प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति को नियमानुसार रजिस्टर में दर्ज करेगा व प्रार्थी/अभियुक्त के अनुपस्थित होने पर सूचना विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त की अनुपस्थिति के आधार पर संबंधित लोक अभियोजक प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत को निरस्त करने हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगा।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 15-16